न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 456/2016

वादी

1. चुन्नीलाल पुत्र प्रतापराम
   जाति–बावरी निवासी–मोहराई
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नर्बदा पत्नि पूनाराम
   कौम–बावरी निवासी–निम्बेड़ा खुर्द
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली
2. गट्टू देवी पत्नि जोगाराम
3. सत्यनारायण पुत्र जोगाराम
4. देवा पुत्र प्रताप
5. नैना पुत्र प्रताप
   जातियान–बावरी निवासी–मोहराई
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली
6. कमल पुत्र मथुरालाल
   कौम–मेघवाल, निवासी–बासखेड़ा
   जिला–निमच (मध्यप्रदेश)
7. तहसीलदार एवं उपपंजीयक
   अधिकारी, जैतारण
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:.30/06/2016

- उपस्थितः. 1. श्रीमति संगीता व्यास, अधिवक्ता, वादी।
  2. श्री नितेश चौहान अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 02/05/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा–मोहराई, पटवार हल्का–मोहराई, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 525/1 रकबा 05–02 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 526 रकबा 2 (0.3237) बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि आयी हुई है। नकल जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 525/1 व 526 की दोनों ही भूमि नजदीक ही आई हुई है। जिसमें से वादी ने खसरा नम्बर 525/1 की भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 1 नर्बदा को बेचान कर दी है। जिस पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा व काश्त चला आ रहा है। परन्तु खसरा नम्बर 526 जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 02 से लगायत 05 की शामलाति खातेदारी एवं कब्जा की भूमि है, एवं इस भूमि में से पत्थर निकलते है। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 01 को

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

किसी प्रकार से कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। फिर भी प्रतिवादीगण संख्या 1 अपनी हठधर्मिता एवं मनमर्जी से खसरा नम्बर 526 की भूमि में अवैध रूप से अपना कब्जा जमाने को आमादा है, एवं इस बाबत् पूर्व में दिनांक 11.05.2016 को प्रतिवादीगण संख्या 01 स्वयं व उसके साथ श्रवण पुत्र पूनाराम एवं 5–6 आदमी सहित मिलकर के षड्यंत्र रचकर ट्रेक्टर मय टोली लेकर जबरदस्ती वादी की खातेदारी की कृषि भूमि में घुसकर पत्थर चुराकर चोरी कर ले गये है। जिस बाबत् एक परिवाद पत्र वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब जैतारण के समक्ष पेश किया है। जिसकी फोटो प्रति वादपत्र के साथ पेश की जा रही है। वादी की मौके पर वादग्रस्त भूमि अलग से बंटी हुई है। तब इस वादग्रस्त भूमि के नाप चौप व कब्जे को लेकर के कोई विवाद नहीं हो इसी नियत से वादी अपने हक हिस्से की भूमि का बाद बंटवाड़ा के मौके पर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने का अधिकारी होने से यह वादपत्र बहक वादी प्रतिवादीगण के सादर पेश है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 526 की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 01 नर्बदा को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर भी वह लाठी लकड़ी के बल पर वादी को मौके से बेदखल कर वादी की बेसकीमती आराजी को हड़प करना चाहते है तथा अजनबी क्रेता को बेचान करने पर आमादा है। आये दिन वादी के हक हिस्से की भूमि पर व वादी के कब्जे में हस्तक्षेप, बाधा व दखलन्दाजी कर रहे है। तथा वादी की आराजी में कब्जा करने पर उतारू है। तथा रात बिरात वादी की भूमि में से पत्थर व मिट्टी चुराकर ले जा रहे है। तथा प्रतिवादीगण वादी को एलानिया धमकी देते है कि उसको मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अकेले ही कब्जा कर लेगें एवं उक्त आराजी को आगे अजनबी क्रेता को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर देगें। यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादों में कामयाब हो जाते है एवं वादी को मौके से बेदखल कर भूमि अजनबी क्रेता को बेचान कर देते है तो वादी को अपूर्णिय क्षति होगी एवं वादी अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगा। इसलिए वादी के पास कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। दिनांक 10.6.2016 को प्रतिवादीगण संख्या 01 ने वादी को मौके पर से बेदखल कर उक्त भूमि को अजनबी क्रेता को बेचान करने की एलानिया धमकी दी, तथा पूर्व में भी दिनांक 11.5.2016 को वादी के हक हिस्से की भूमि में जबरदस्ती प्रवेश कर पत्थर व मिट्टी चुराकर ले गये है। एवं वादी को कहा कि वो धनबल के आधार पर उसे बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अपना हक व अधिकार जमा लेंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी मंसूबों में कामयाब हो जाते है तो वादी को अपने साम्पैतिक हक व अधिकारों से हमेशा हमेशा के लिये महरूम होना पडेगा एवं मौके पर लडाई झगड़े होगें, विवाद बढेगा। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स् बढेगी। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 07 तहसीलदार एवं उप पंजीयक अधिकारी जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी होने से उनको पक्षकार बनाया गया है, जिनके विरूद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व उनको 02 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है परन्तु नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना है इसलिए नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादपत्र अनुमति लेकर के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश किया जा रहा है। जिस बाबत् अनुमति का प्रार्थना पत्र धारा 80(2) सीपीसी का अलग से वाद के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 10.6.2016 को प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा वादी को उसके हक हिस्से की भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उक्त आराजी को बेचान करने की ऐलानिया धमकी देने से बमुकाम–मोहराई, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जिसे सा0मि0 किया गया। प्रति0 संख्या 04 व 05 स्वंय आज राजस्व लोक अदालत केमप में उपस्थित होकर जाहिर किया कि हम प्रति0 संख्या 04 व 05 विवदित आराजी में वादी के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करेंगे, बाद प्रति0 संख्या 04 व 05 के आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये। दीगर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय काग्रवाही हो चुकी हैं।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–मोहराई में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। खसरा नम्बर 525/1 को वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को बेचान करने से राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी सं. 01 खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। वादी खसरा नम्बर 526 में सहखातेदार काश्तकार हैं। माफिक हक हिस्से अनुसार वादी अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करे या करावें एवं काश्त मुतालिक कार्य करें, तो प्रतिवादीगण स्वयं एवं उनके हाली एजेन्ट, नौकर, चाकर इत्यादि को दखलन्दाजी नहीं करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद आंसिक स्वीकार किया जाता हैं। सरहद राजस्व मौजा–मोहराई, पटवार हल्का–मोहराई, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 526 रकबा 2 (0.3237) बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि में वादी अपने हिस्से की आराजी का खातेदार काश्तकार हैं। माफिक हक हिस्से अनुसार वादी अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करे या करावें एवं काश्त मुतालिक कार्य करें, तो प्रतिवादीगण स्वयं उनके हाली एजेन्ट, नौकर, चाकर इत्यादि को दखलन्दाजी नहीं करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 02/05/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–मोहराई पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner